Date - 19 March 2022

एग्रीस्टैक

- सरकार 'कृषि डेटासेट' का डिजिटल 'स्टैक' बनाने पर काम कर रही है, जिसके मूल में 'भूमि रिकॉर्ड' बनाना है।
- ऐसे 'केंद्रीकृत ढेर' में पुराने और अशुद्ध भूमि अभिलेखों द्वारा किया जाना; मजबूत डेटा संरक्षण कानून के बिना किसानों के व्यक्तिगत और वित्तीय विवरणों का उपयोग किया जाएगा। और चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता का स्तर काफी कम है। इसलिए जानकारों का कहना है कि ऐसा 'एग्रस्टैक' (एग्रिस्टैक) समस्याग्रस्त है।

एग्रीस्टैक' के बारे में:

- 'एग्रीस्टैक' (एग्रिस्टैक), किसानों और कृषि क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए, केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित प्रौद्योगिकियों और डिजिटल डेटाबेस का एक संग्रह है।
- केंद्र सरकार का दावा है कि कृषि आपूर्ति श्रृंखला में कमी और बर्बादी जैसे मुद्दों से निपटने के लिए ऐसे नए डेटाबेस तैयार किए जा रहे हैं।

विशेषताएं और महत्व:

- सरकार के लक्ष्य के तहत, Microsoft (Microsoft) 'स्मार्ट और सुव्यवस्थित कृषि' के लिए एक किसान इंटरफ़ेस विकसित करने के लिए किसानों की व्यक्तिगत जानकारी का 'आवश्यक डेटा सेट' प्रदान करना है।
- ये डिजिटल स्टोर सब्सिडी, सेवाओं और नीतियों के सटीक लक्ष्यीकरण में मदद करेंगे।
- इस कार्यक्रम के तहत देश के प्रत्येक किसान को विशिष्ट पहचान के लिए भूमि अभिलेखों से संबंधित एक एफआईडी "किसान आईडी) प्रदान किया जाएगा। भारत में 140 मिलियन कार्यात्मक कृषि भूमि कार्य (खेत-भूमि जोत) हैं।

संबंधित चिंताओं के कारण:

- यह परियोजना 'डेटा सुरक्षा कानून' के बिना लागू की जा रही थी।

Yojna IAS

- यह एक ऐसी प्रक्रिया साबित हो सकती है, जिसमें निजी डाटा प्रोसेसिंग संस्थान स्वयं किसान के बारे में, किसानों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
- सुरक्षा उपायों के बिना, निजी संस्थाएं किसानों के डेटा का जितना चाहें उतना उपयोग करने में सक्षम होंगी।
- यह सूचना विषमता प्रौद्योगिकी कंपनियों के प्रति तिरछी है, जिससे किसानों, विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों का और अधिक शोषण हो सकता है।

मांग:

- वर्तमान में, भारत भर में अधिकांश किसान छोटे और सीमांत किसान हैं जिनकी उन्नत तकनीकों या औपचारिक ऋण तक सीमित पहुंच है। प्रौद्योगिकियों में सुधार और औपचारिक ऋण तक पहुंच से फसल उत्पादन में सुधार और बेहतर मूल्य प्राप्त करने में मदद मिल सकती है।
- कार्यक्रम के तहत, नई प्रस्तावित डिजिटल कृषि प्रौद्योगिकियों और सेवाओं में मवेशियों की निगरानी के लिए सेंसर, मिट्टी का विश्लेषण करने और कीटनाशकों को लागू करने के लिए ड्रोन, कृषि उपज में उल्लेखनीय सुधार और किसानों की आय को बढ़ावा देना शामिल है।

एक्ट ईस्ट पॉलिसी

- हाल ही में "एक्ट ईस्ट पॉलिसी" पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया था।

एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बारे में:

- भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति यानी 'वर्क ईस्ट पॉलिसी' विभिन्न स्तरों पर व्यापक एशिया-प्रशांत क्षेत्र के साथ आर्थिक, रणनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक 'राजनयिक पहल' है।
- इसे 1991 में तत्कालीन प्रधान मंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव की 'लुक ईस्ट पॉलिसी' यानी 'लुक ईस्ट पॉलिसी' को आधुनिक संस्करण माना जाता है।
- "एक्ट ईस्ट पॉलिसी" नवंबर 2014 में म्यांमार में आयोजित 'ईस्ट एशिया समिट' में शुरू की गई थी।
- "एक्ट ईस्ट पॉलिसी" के तहत, भारत सरकार आसियान देशों के साथ बेहतर संबंध विकसित करने के लिए 3 सी (संस्कृति, कनेक्टिविटी और वाणिज्य) पर जोर देती है।

"लुक ईस्ट पॉलिसी" और "एक्ट ईस्ट पॉलिसी" के बीच प्रमुख अंतर:

- "पूर्व की ओर देखो नीति" दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ (आसियान) के साथ आर्थिक एकीकरण पर केंद्रित थी, और यह नीति केवल दक्षिण पूर्व एशिया तक ही सीमित थी।
- दूसरी ओर, "एक्ट ईस्ट पॉलिसी", आसियान देशों के आर्थिक एकीकरण और पूर्वी एशियाई देशों के साथ सुरक्षा सहयोग पर केंद्रित है।

'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' के उद्देश्य:

Yojna IAS

- क्षेत्रीय, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्तरों पर निरंतर जुड़ाव के माध्यम से एशिया-प्रशांत क्षेत्र के देशों के साथ आर्थिक सहयोग, सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना और रणनीतिक संबंधों को विकसित करना।
- अन्य पड़ोसी देशों के साथ पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए।
- विशेषज्ञों के अनुसार- भारत सरकार "एक्ट ईस्ट पॉलिसी" के तहत आसियान देशों के साथ बेहतर संबंध विकसित करने के लिए 3 सी यानी संस्कृति, कनेक्टिविटी और वाणिज्य, (3 सी – संस्कृति, कनेक्टिविटी और वाणिज्य) में विश्वास करती है।

महत्त्व:

- एक्ट ईस्ट पॉलिसी (एईपी) के तहत, इंडो-पैसिफिक सहयोग के महत्व को रेखांकित करते हुए, 'भारत-जापान रणनीतिक साझेदारी' को एक नए स्तर पर ले जाया गया है।
- भारत एक स्वतंत्र, खुले और समावेशी 'इंडो-पैसिफिक' में विश्वास करता है जो सहकारी और सहकारी कानून-आधारित व्यवस्था पर आधारित है।
- 'आसियान केंद्रीयता' क्षेत्रीय स्तर पर 'इंडो-पैसिफिक' की एक स्थायी समकालीन विशेषता बनी हुई है।
- भारत ने दक्षिण, दक्षिणपूर्व और पूर्वी एशिया के देशों के साथ अपने संपर्कों के केंद्र में 'इंडो-पैसिफिक' को रखा है। धीरे-धीरे, 'एक्ट ईस्ट' नीति 'एक्ट इंडो-पैसिफिक' नीति में बदल रही है।

Swadeep Kumar

Yojna IAS